सं0-2850/62-2-2016-2/3(14)/2016

प्रेंषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
संबंधित प्रखण्ड।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 03 नवम्बर,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग योजना) में सामान्य कृषकों हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि का आवंटन (जिला योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-जी-492/ल0सिं0/बजट-3/2016-17, दिनांक 08.9.2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग योजना) (जिला योजना) के अन्तर्गत सामान्य कृषकों के लिए प्राविधानित धनराशि रू0-3883.00 लाख के सापेक्ष प्रथम छमाही हेतु धनराशि रू0-1941.50 लाख शासनादेश सं0-1144/62-2-2016-2/3(14)/2016, दिनांक 18.4.2016 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0-1941.50 लाख (रूपया उन्नीस करोड इक्तालिस लाख पचास हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 18.4.2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है।

यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वर्ष 2016-17 की जिला योजनाओं के लिए जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने के उपरांत जारी की गयी स्वीकृतियों को आवंटित परिव्यय में समायोजित कर लिया जायेगा। तदनुसार संबंधित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाय।

3- तथ्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेंखाशीर्षक 2702-ल्घु सिंचाई-आयोजनागत'-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लघु तथा सीमान्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान) (जिला योजना)-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीया,
(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव।

सं0-2850(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- संबंधित जिलाधिकारी।
6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।
8- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनतर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-अन्य व्यय-07-लघु तथा सीमान्त कृषको को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान) (जिला योजना)27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण ।

क्र0 सं0	जनपद	गत वर्ष में नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	वांछित अतिरिक्त् परिव्यय	कुल परिव्यय	बजट प्राविधान	संशोधित बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	संशोधित बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेरठ	49.00		49.00	13.41	13.41	6.71	6.70
2	बागपत	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	गाजियाबाद	0.00	3.89	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89
4	गौतमबुद्नगर	6.00		6.00	1.64	1.64	0.82	0.82
5	बुलन्दशहर	275.80		275.80	75.43	71.54	37.72	33.82
6	हापुड	16.00		16.00	4.41	4.41	2.21	2.20
7	सहारनपुर	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	मुजफफरनगर	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	शामली	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	आगरा	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	मथुरा	510.00		510.00	139.52	137.10	69.76	67.34
12	फिरोजाबाद	87.00		87.00	23.79	23.79	11.90	11.89
13	मैनपुरी	93.00		93.00	25.43	25.43	12.72	12.71
14	अलीगढ	390.60		390.60	106.91	106.91	53.46	53.45
15	हाथरस	93.00		93.00	25.43	25.43	12.72	12.71
16	एटा	150.00		150.00	41.09	41.09	20.55	20.54
17	कासगंज	140.00		140.00	38.32	38.32	19.16	19.16
18	बरेली	310.00		310.00	84.86	83.91	42.43	41.48
19	बदायूं	277.50		277.50	75.95	75.95	37.98	37.97
20	सम्भल	197.00		197.00	53.89	52.16	26.95	25.21
21	शाहजहॉपुर	131.69		131.69	36.07	36.07	18.04	18.03
22	पीलीभीत	60.00		60.00	16.44	16.44	8.22	8.22
23	मुरादाबाद	52.90		52.90	14.45	14.45	7.23	7.22
24	अमरोहा	50.60		50.60	13.84	13.84	6.92	6.92
25	रामपुर	35.00		35.00	9.60	9.60	4.80	4.80
26	बिजनौर	98.00		98.00	26.82	26.82	13.41	13.41
27	लखनऊ	13.50		13.50	3.89	13.49	1.95	11.54
28	हरदोई	832.50		832.50	227.84	226.35	113.92	112.43
29	सीतापुर	636.00		636.00	174.04	174.04	87.02	87.02
30	खीरी	703.50		703.50	192.55	192.55	96.28	96.27
31	रायबरेली	57.00		57.00	15.57	15.57	7.79	7.78
32	उन्नाव	692.00		692.00	189.35	189.35	94;68	94.67
33	कानपुर नगर	449.00		449.00	122.83	122.83	61.42	61.41
34	कानपुर देहात	406.25		406.25	111.15	111.15	55.58	55.57
35	इटावा	77.85		77.85	21.28	21.28	10.64	10.64
36	औरैया	144.00		144.00	39.44	39.44	19.72	19.72
37	फर्रूखाबाद	51.10		51.10	14.01	14.01	7.01	7.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	जनपद	गत वर्ष में नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	वांछित अतिरिक्त् परिव्यय	कुल परिव्यय	बजट प्राविधान	संशोधित बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	संशोधित बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	कन्नौज	155.75		155.75	42.65	42.65	21.33	21.32
39	इलाहाबाद	12.20		12.20	3.37	3.37	1.69	1.68
40	कौशाम्बी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	फतेहपुर	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95
42	प्रतापगढ	30.80		30.80	8.39	7.44	4.20	3.24
43	वाराणसी	21.00		21.00	5.71	5.71	2.86	2.85
44	चन्दौली	13.00		13.00	3.55	3.55	1.78	1.77
45	गाजीपुर	310.00		310.00	84.86	83.91	42.43	41.48
46	जौनपुर	451.50		451.50	123.52	123.52	61.76	61.76
47	मिर्जापुर	10.85		10.85	2.94	2.94	1.47	1.47
48	सोनभद्र	2.10		2.10	0.61	0.61	0.31	0.30
49	सन्तरविदासनगर	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	फैजाबाद	88.71		88.71	24.31	24.31	12.16	12.15
51	अम्बेडकरनगर	125.75		125.75	34.43	34.43	17.22	17.21
52	बाराबंकी	530.00		530.00	145.06	145.06	72.53	72.53
53	सुल्तानपुर	182.50		182.50	49.91	49.91	24.96	24.95
54	अमेठी	232.50		232.50	63.66	63.66	31.83	31.83
55	गोण्डा	144.15		144.15	39.44	39.44	19.72	19.72
56	बलरामपुर	70.00		70.00	19.12	19.12	9.56	9.56
57	बहराइच	560.00		560.00	153.28	153.28	76.64	76.64
58	श्रावस्ती	122.50		122.50	33.56	33.56	16.78	16.78
59	गोरखपुर	384.33		384.33	104.93	103.80	52.39	51.41
60	महाराजगंज	379.70		379.70	103.89	103.89	51.95	51.94
61	देवरिया	525.00		525.00	143.66	142.73	71.73	71.00
62	कुशीनगर	390.00		390.00	106.74	106.74	53.37	53.37
63	बस्ती	818.00		818.00	223.86	223.86	111.93	111.93
64	सन्तकबीरनगर	453.00		453.00	123.95	123.95	61.98	61.97
65	सिदार्थनगर	333.67		333.67	91.34	91.34	45.67	45.67
66	आजमगढ	460.00		460.00	125.86	125.86	62.93	62.93
67	मऊ	140.00		140.00	38.32	38.32	19.16	19.16
68	बलिया	154.00		154.00	42.13	42.13	21.07	21.06
69	झाँसी	1.37		1.37	0.35	0.35	0.18	0.17
70	जालौन	0.77		0.77	0.17	0.17	0.09	0.08
71	ललितपुर	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	हमीरपुर	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	महोबा	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	बांदा	0.36		0.36	0.09	0.09	0.05	0.04
75	चित्रकूट	0.14		0.14	0.09	0.09	0.05	0.04
	योग-	**14189.44**	**4.84**	**14194.28**	**3883.00**	**3883.00**	**1941.50**	**1941.50**

(रू0 उन्नीस करोड इक्तालिस लाख पचास हजार मात्र)

(संजय शुक्ला)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in